न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 87/2019

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थी – 1.नवाब पुत्र जीयण जाति मुसलमान
निवासी अब्दुला का तला (बूठ राठौडान)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.गुलाम 2.मिधा पि.अदु 3.विलाई पत्नि अदु
जाति मुसलमान, निवासी अब्दुला का तला (बूठ राठौडान)
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
4.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – **श्री हुकमसिंह गोदारा**

उपखण्ड अधिकारी ★ चौहटन ★

निर्णय

दिनांक :– 05/06/25

प्रार्थी के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत मौजा अब्दुला का तला, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा सं. 915/496 रकबा 12.00 बीघा का आया हुआ है। प्रार्थी ने उक्त खेत विप्रार्थीगण से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र से क्रय किया, जिसका मूल खसरा [illegible] ने विप्रार्थी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के 12.00 बीघा भूमि क्रय [illegible] विप्रार्थीगण ने प्रार्थी को रजिस्टर्ड में वर्णित पड़ौस अनुसार मौके पर [illegible] था। लेकिन उक्त खसरे की तरमीम करते समय राजस्व कर्मचारियों द्वारा [illegible] विक्रयपत्र में व[illegible]डौसान के अनुसार नहीं करके अपनी मनमर्जी के अनुसार आड़ी तेड़ी तरमीम कर दी है, जबकि प्रार्थी का मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

कब्जा विक्रयपत्र में वर्णित पड़ौसानुसार है। नक्शे में की गई तरमीम मौके से विपरित है। इसलिए प्रार्थी उक्त गलत तरमीम को मौके एवं कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त करवाना चाहते है जिस हेतु आवेदन प्रस्तुत कर तरमीम दुरस्त करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही आया, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई तहसीलदार से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील ने तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्वीकार की। पत्रावली का अवलोकन किया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा अब्दुला का तला, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन में खसरा सं. 915/496 रकबा 12.00 बीघा भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती हेतु प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में सलंग्न प्रपत्र "ब" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05/06/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

राजस्व आवेदन संख्या 87/2019 के
अनुसार नवीन बताए [illegible] [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ अनुसार नक्शा खसरा 915/496

प्रपत्र – क

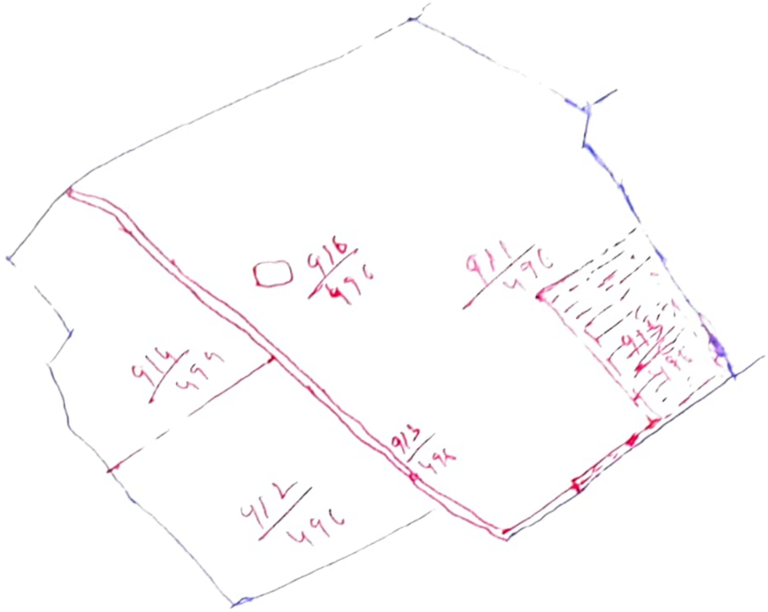

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी

(==). ~~बंशीलाल नवनीत कं[illegible] हेतु प्रस्तावित स्थल 915/496~~
~~मौके अनुसार नक्शा~~

वादी
नवाब

तहसीलदार

प्रतिवादी
[illegible] नाग
[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.06.24 17:27:42 IST
Reason: SelfAttested